

राजस्थान सरकार
निदेशालय कोष एवं लेखा

वित्तभवन, "ए" ब्लॉक, जनपथ, जयपुर-302005

दूरभाष 0141-2740837, फैक्स 0141-2742309, ईमेल jacct.dta@rajasthan.gov.in

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/ 1132 दिनांक:- 20-05-2023

अनापत्ति प्रमाण-पत्र

नव चयनित कनिष्ठ लेखाकारों के द्वारा राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित विभिन्न परीक्षाओं में साक्षात्कार एवं दस्तावेज सत्यापन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र बाबत आवेदन प्रस्तुत किया है। जिनका विवरण निम्नानुसार है।

क. स.	कार्मिक का नाम, पद व कार्यालय	अनापत्ति प्रमाण-पत्र का विषय विवरण
1	श्री अनिल कुमार मीणा, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय राजस्थान मेडिकल ऐज्युकेशन सोसायटी, जयपुर	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित राजस्व अधिकारी ग्रेड-II एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग-IV परीक्षा-2022 में उत्तीर्ण होने के पश्चात् साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन हेतु
2	श्री विक्रम सिंह, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय निदेशक स्थानीय निकाय विभाग जयपुर	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित राजस्व अधिकारी ग्रेड-II एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग-IV परीक्षा-2022 में उत्तीर्ण होने के पश्चात् साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन हेतु
3	ऋतु चौधरी, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय राजकीय महाराज आचार्य संस्कृत महाविद्यालय, जयपुर	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित आर.ए.एस. मुख्य परीक्षा-2023 में उत्तीर्ण होने के पश्चात् साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन हेतु
4	उर्मिला मीणा, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय राजस्थान राज्य सड़क विकास एवं निर्माण लिमिटेड, जयपुर	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित सहायक आचार्य (A.B.S.T.) परीक्षा-2023 में उत्तीर्ण होने के पश्चात् साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन हेतु
5	श्री नरेन्द्र सिंह, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी प्रभारी सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, सावर (अजमेर)	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित आर.ए.एस. मुख्य परीक्षा-2023 में उत्तीर्ण होने के पश्चात् साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन हेतु
6	श्री सुभाष राठौड़, कनिष्ठ लेखाकार, कार्यालय मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ब्लॉक चामू जिला जोधपुर	राजस्थान लोक सेवा आयोग, अजमेर द्वारा आयोजित राजस्व अधिकारी ग्रेड-II एवं अधिशाषी अधिकारी वर्ग-IV परीक्षा-2022 में उत्तीर्ण होने के पश्चात् साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन हेतु

नव चयनित कनिष्ठ लेखाकारों को उनके आवेदन पत्र के आधार पर साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन हेतु अनुमति प्रदान की जाती है। यदि इनका चयन आवेदित पद पर किया जाता है तो ये नियमानुसार इस विभाग से कार्यमुक्त होकर चयनित पद पर कार्यग्रहण कर सकेंगे। इस संबंध में इस विभाग को कोई आपत्ति नहीं है।

इन्हें साक्षात्कार/दस्तावेज सत्यापन की तिथि के अतिरिक्त अन्य कोई अवकाश देय नहीं होगा।

(बृजेश किशोर शर्मा)
निदेशक एवं पदेन
संयुक्त शासन सचिव

क्रमांक:-प.4(ई)(1)(6)निप/भर्ती-2023/(स्थापना)/अलेसे-III/1132

दिनांक:- 20-05-2025

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:-

1. संबंधित कोषाधिकारी/कार्यालय.....।
2. वरिष्ठ निजी सचिव, निदेशक महोदय।
3. उपनिदेशक (एसीपी) को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
4. संबंधित नवचयनित कनिष्ठ लेखाकार.....।

(सीमा कौशल)
संयुक्त निदेशक (कार्मिक-II/III)